



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

क्रमांक/अका./2023/1039

भोपाल, दिनांक 02.08.2023

संशोधित आदेश

शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए छात्रावास शुल्क त्रैमासिक आधार निर्धारित किया जाता है। उक्त शुल्क विद्यार्थियों द्वारा चार किश्तों में निम्नानुसार में देय होगी।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेशित नवीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास शुल्क

किश्त भुगतान की अवधि	भुगतान की अंतिम तिथि	शुल्क का विवरण	कुल राशि रु
प्रथम किश्त (जुलाई 2023/ प्रवेश के समय)	प्रवेश के समय	कॉशनमनी, मेंटेनेंस शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मैस शुल्क	22138/-
द्वितीय किश्त (अक्टूबर 2023)	10.10.2023	छात्रावास शुल्क एवं मैस शुल्क	16638/-
तृतीय किश्त (जनवरी 2024)	10.01.2024	छात्रावास शुल्क एवं मैस शुल्क	16638/-
चतुर्थ किश्त (अप्रैल 2024)	10.04.2024	छात्रावास शुल्क एवं मैस शुल्क	14288/-

- कॉशनमनी रूपये 3000/- (वापसी योग्य) केवल छात्रावास प्रवेश के दौरान लिया जाने वाला शुल्क।
- छात्रावास रख-रखाव शुल्क रूपये 2500/- प्रति वर्ष (वापसी योग्य नहीं)।

पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्रावास शुल्क

किश्त भुगतान की अवधि	भुगतान की अंतिम तिथि	शुल्क का विवरण	कुल राशि रु
प्रथम किश्त (जुलाई 2023/सत्र प्रारंभ के समय)	प्रवेश के समय	छात्रावास एवं मैस शुल्क	16638/-
द्वितीय किश्त (अक्टूबर 2023)	10.10.2023	छात्रावास एवं मैस शुल्क	16638/-
तृतीय किश्त (जनवरी 2024)	10.01.2024	मेंटेनेंस शुल्क, छात्रावास एवं मैस शुल्क	17888/-
चतुर्थ किश्त (अप्रैल 2024)	10.04.2024	छात्रावास एवं मैस शुल्क	14288/-

- पूर्व विद्यार्थियों से जनवरी माह 2023 में मेंटेनेंस शुल्क राशि रु. 2500/- जमा करवाया गया था अतः जुलाई माह 2023 में मेंटेनेंस शुल्क न जमा करवाते हुए जनवरी 2024 में आधा शुल्क राशि रूपये 1250/- जमा करवाया जा रहा है।
- छात्रावास/मैस शुल्क प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य ऑनलाईन जमा करवाना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात उपरोक्त उल्लेखित निर्धारित माह की 11 तारीख से 20 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रु. 50/- एवं माह की 21 तारीख से 30 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रु. 100/- तत्पश्चात राशि रु. 500/- देय होगा।
- मैस शुल्क एवं छात्रावास शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

- छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा समाप्ति के उपरान्त पुनः कक्ष आवंटन के लिए छात्रावास को खाली करना अनिवार्य होगा ताकि इस दौरान छात्रावास एवं कक्षों का रख-रखाव कार्य सम्पन्न हो सके। विद्यार्थी को अधिकतम 15 जून या अंतिम परीक्षा तिथि तक छात्रावास में रहने की अनुमति होगी।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक /अका./2023/1040

भोपाल, दिनांक 20.08.2023

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. चीफ वार्डन को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वार्डन, पुरुष छात्रावास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी वेबसाईड संधारण को अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. एम.पी. ऑनलाईन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव